

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on Page Nos. 4634—4635

Dated 16-6-2012

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2012

का. आ. 1964.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में, नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संशोधीकरण) नियम, 1981 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संशोधीकरण) संशोधन नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संशोधीकरण) नियम, 1981 के प्ररूप-1, प्ररूप 1क, प्ररूप-2, प्ररूप-3 में "भाग" शब्द, जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर क्रमशः "प्रतिशतता" शब्द रखा जाएगा।

टिप्पण : केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1981 का.आ. 1134 तारीख 11 अप्रैल, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 34/1/81 पेंशन एकक तारीख 8 जुलाई, 1983 द्वारा संशोधित किए गए और तत्पश्चात् ये नियम नीचे दी गई पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए :

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	तारीख
1.	का.आ. सं. 1870	04/05/1985
2.	का.आ. सं. 2097	18/05/1985
3.	का.आ. सं. 1775	19/07/1997
4.	का.आ. सं. 918	28/02/2002
5.	का.आ. सं. 1484(अ)	30/12/2003
6.	का.आ. सं. 2806	09/11/2010

[फा. सं. 42/23/10-पी एंड पीडब्ल्यू (जी)]

तृप्ति पी. घोष, निदेशक (पीपी)

(Department of Pension and Pensioners' Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2012

S.O. 1964.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Central Civil Services (Commutation of Pension) Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the day of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981 in Form-1, Form 1-A, Form-2, Form-3, for the word "fraction", wherever it occurs, the word "percentage" shall respectively be substituted.

Note : The Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981 were published vide S.O. 1134 dated 11th April, 1981 and amended by notification No. 34/1/81 Pension Unit dated the 8th July, 1983 and were subsequently amended vide Department of Pension and Pensioners' Welfare Notification as given below :

S.No.	Notification	Date
1.	S.O. No. 1870	04/05/1985
2.	S.O. No. 2097	18/05/1985
3.	S.O. No. 1775	19/07/1997
4.	S.O. No. 918	28/02/2002
5.	S.O. No. 1484(E)	30/12/2003
6.	S.O. No. 2806	09/11/2010

[F. No. 42/23/10-P & PW(G)]

TRIPTI P. GHOSH, Director (PP)